

## भाग-2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

### प्रपोजल संख्या-FP/UP/Pipeline/42798/2019

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 7   | परियोजना/स्कीम का स्थान  | आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा काण्डला-गोरखपुर (गुप-ई) एल0पी0जी0 पाइपलाइन के निर्माण में प्रभावित 1.2909 हे0 वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। |
| (क) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र  | उत्तर प्रदेश   |
| (ख) | जिला   | उन्नाव   |
| (ग) | वन प्रभाग  | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग उन्नाव  |
| (घ) | वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)   | 1.2909 हे0   |
| (ङ) | वन की कानूनी स्थिति  | संरक्षित तथा आरक्षित वन भूमि   |
| (च) | हरियाली का घनत्व   | 0.01   |
| (छ) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ. आर.एल. एफ.आर.एल.4 मी भी संलग्न किये जायें।                           | वृक्षों की गणना प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-..... पर संलग्न है।  |
| (ज) | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी   | नगण्य  |
| (झ) | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।   | 0 किमी0  |
| (त) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल, रिजर्व बाघ, रिजर्व हॉथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये)    | नहीं हैं।  |
| (थ) | क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्भल/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।  | नहीं है।   |
| 8   | प्रयोक्ता एर्जेसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो माँगे गये विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। | न्यूनतम है।  |
| 9   | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे है।      | नही  |
| 10  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा   |  |
| (क) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अबकर्मित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार आदि का विवरण   | रायबरेली वन प्रभाग में प्रस्तावित।   |
| (ख) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकर्मित वन क्षेत्र आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।  | -  |
| (ग) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत, ढाँचा आदि  | -  |
| (घ) | 1. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय  | -  |
|     | 2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध   | रुपया 12,36,398.00   |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| (ड)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) | - 65  |
| 11    | जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)   | प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-..... पर संलग्न है।                       |
| 12    | विभाग/जिला प्रोफाइल   |   |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र   | 455800.00 हे०   |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र  | 16459.468 हे०   |
| (iii) | मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र   | 37 मामले, 287.019 हे०   |
| 13    | 1980 से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य  |   |
| (i)   | दण्ड के रूप में   | 95.0 हे०  |
| (ii)  | वन भूमि पर  | 216.16 हे० तथा 62803 पौध  |
| (iii) | गैर वन भूमि   | 13.62   |
| 14    | प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति  |   |
| (i)   | दण्ड के रूप में वनीकरण  | 89.00 हे०   |
| (ii)  | वन भूमि पर  | 155.58 हे० तथा 31304 पौध  |
| (iii) | गैर वन भूमि पर वनीकरण   | 4.81  |
| 15    | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश   | जनहित में परियोजना को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। |

(मयंक सिंह)  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 चण्डीगढ़ रेन्ज

(बीरेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
 उन्नाव

(आर०एम० चौधरी)  
 उपप्रभागीय वनाधिकारी,  
 उन्नाव

(ईशा तिवारी)  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 गौरीमऊ जनपद-उन्नाव

(ईशा तिवारी)  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
 उन्नाव।